न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री आशीष मोदी आई.ए.एस.

वाद संख्या :– 03 / 61 / 2018

श्रीमति लक्ष्मी राठिया पत्नि श्री जगतप्रकाश राठिया जाति ब्रा0 निवासी राजगढ

.... प्रार्थीनी

बनाम्

तहसीलदार राजगढ

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा हेतु।

उपस्थित : श्री अशोक पटेल एकडवोकेट ......प्रार्थीया

पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ

निर्णय दिनांक 24.04.2018

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन वासते निर्णय हेतु पेंश हुआ है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश कर निवेदन किया है कि उपखण्ड राजगढ के कस्बा राजगढ में स्थित आराजी ख0नं0 1312 रकबा 0.15 के 1 / 5 हिस्से की एवं ख0नं0 1313 रकबा 0.79 हैक्0 के 7780 वर्गमीटर भूमि की खातेदार है। मेरी उक्त आराजी पर आवागमन हेतु एवं कृषि यंत्र, वाहन आदि लाने ले जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद नही है और अब तक पडौसी खातेदारान की आराजीयात में फसल नही होने पर ही अपनी उक्त आराजीयात में आते–जाते रहे है। किन्तु अब पडौसीयान खातेदार भी मिन प्रार्थीया को उक्त आराजी में आवागमन नही करने देते है और ना ही काश्त करने हेतु वाहन आदि ले जाने देते है। जिससे मिन प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात् में काश्त करने से वंचित रह रही है। इसलिए मिन प्रार्थीया काश्तकारी हितो की रक्षार्थ उक्त आराजीयात् में राजगढ–माचाडी रोड से छाहरीन हनुमान जी महाराज के मन्दिर को आने वाले रास्ता से आवागमन करने, हल ट्रैक्टर इत्यादि कृषियंत्र व वाहन लाने ले जाने हेतु आवेदक की खातेदारी आराजी आराजी ख0नं0 1312 रकबा 0.15 के 1 / 5 हिस्से की एवं ख0नं0 1313 रकबा 0.79 हैक्0 के 7780 वर्गमीटर के तरफ पूर्व को लगते हुये खसरा नं0 1306 / 0.44 हैक्0 बंजड 1307 / 0.14 हैक्0 बंजड सिवायचक लगानी वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जो आराजी स्थित है तथा उपरोक्त सरकारी भूमि के तरफ दक्षिण–पश्चिम कोने से लगता हुआ। गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1296 मौजूद है जो तरफ दक्षिण को जाकर राजगढ से माचाडी को जाने वाले डाम्बर रोड में मिलता है जिससे होकर प्रार्थीया अपनी उपरोक्त आराजी में आते–जाते रहे है। और उक्त सरकारी भूमि मौके पर पडत है। किन्तु अब कुछ लोग प्रार्थीया को उक्त आरजी से होकर आने जाने नही देते है। इसलिये प्रार्थीया की आराजी पर

फसल बुवाई व खराब होने की स्थिति हो गई है। इसलिये प्रार्थीया ख0नं0 1306/0.44 है0 बंजड 1307/0.14 है0 बंजड सिवायचक वाके राजगढ में होते हुये गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1296 में से जो तरफ दक्षिण को जाकर राजगढ से माचाडी को जाने वाले डाम्बर रोड से मिलता है से 30 फुट चौडा रास्ता मौके पर कायम करवाकर जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज कराना चाहती है। जिस हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशि जमा कराने अथवा रास्ते की भूमि की ऐवज में देने को तैयार है। अतः में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थीना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा बाद जॉच अपने पत्र संख्या राजस्व/2018/533 दिनांक 10.04.2018 से रिपोर्ट पेंश कर उल्लेख किया है कि प्रार्थीनी लक्ष्मी देवी पत्नि श्री जगत प्रकाश राठिया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1313 में आवागमन तथा टैक्ट्रर इत्यादि कृषि यंत्र वाहन ले जाने हेतु रिकार्ड में रास्ता कायम करने हेतु पेंश किया है। यह है कि ख0नं0 1296 गै0मु0 रास्ता जिसमें मौके पर सी0सी0 रोड निर्मित है से आगे प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1313/0.79 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता दर्ज नही है। यह है कि प्रार्थीया स्वंम की आराजी में आवागमन करने हेतु व कृषि यंत्रो को लाने ले जाने के लिये ख0नं0 1306/0.44 बंजड, 1307/0.14 बंजड जो कि सिवायचक खाते में दर्ज रिकार्ड है से होकर आवागमन के लिये उपयोग करती है उक्त के अलावा प्रार्थीया की खातेदारी में आवागमन हेतु व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है। यह है कि ख0नं0 1296 गै0मु0 रास्ता के आगे उत्तर की ओर मौके पर ख0नं0 1299 के उत्तरी–पश्चिमी कोने से चलकर ख0नं0 1308 व 1307 की पूर्वी मेड के सहारे कुल 66 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौडा रास्ता संगणित क्षेत्रफल 604 वर्गमीटर तथा ख0नं0 1307 मे होकर 8 मीटर लम्बा और 9.15 मीटर चौडा रास्ता संगणित क्षेत्रफल 73 वर्गमीटर ख0नं0 1313 की दक्षिणी–पूर्वी कोने तक राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित करने की अनुशंषा की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने का निवेदन किया गया। साथ ही पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ द्वारा भी अपनी रिपोर्ट व अभिशंष के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने पर सहमति दी गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074 खाता संख्या 1 व खता संख्या 1114 वाके कस्बा राजगढ का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि हाल आराजी ख0नं0 1306/0.44, 1307/0.14 बंजड वो ग्राम राजगढ खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज लागानी दर्ज रिकार्ड है। तथा हाल ख0नं0 1213/0.15 व खाता संख्या 1113 जिसकी प्रार्थीया 1/5 हिस्से की तथा ख0नं0 1313/0.79 खाता संख्या 1114 के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीया 7780 वर्गमीटर वाके कस्बा राजगढ की खातेदार साबित है। जैसा की तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में व नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित करते हुये उल्लेख किया है कि ख0नं0 1296 गै0मु0 रास्ता जिसमें मौके पर सी0सी0 रोड निर्मित है से आगे प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1313/0.79 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता दर्ज नही है। यह है कि प्रार्थीया स्वंम की आराजी में आवागमन करने हेतु व कृषि यंत्रो को लाने ले जाने के लिये ख0नं0 1306/0.44

बंजड, 1307/0.14 बंजड जो कि सिवायचक खाते में दर्ज रिकार्ड है से होकर आवागमन के लिये उपयोग करती है उक्त के अलावा प्रार्थीया की खातेदारी में आवागमन हेतु व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है। यह है कि ख0नं0 1296 गै0मु0 रास्ता के आगे उत्तर की ओर मौके पर ख0नं0 1299 के उत्तरी–पश्चिमी कोने से चलकर ख0नं0 1308 व 1307 की पूर्वी मेड के सहारे कुल 66 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौडा रास्ता संगणित क्षेत्रफल 604 वर्गमीटर तथा ख0नं0 1307 मे होकर 8 मीटर लम्बा और 9.15 मीटर चौडा रास्ता संगणित क्षेत्रफल 73 वर्गमीटर ख0नं0 1313 की दक्षिणी–पूर्वी कोने तक राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित करने की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत रिकार्ड तथा तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीया को प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड कायम करने की अभिशंषा की है। परन्तु चूकि प्रार्थीया की आराजीयात् पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिये 30 फुट के स्थान पर 15 फीट रास्ता ही पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजगढ की अभिशंषा के अनुसार 30 फुट रास्ते के स्थान पर 15 फीट रास्ता हेतु प्रार्थीया द्वारा रास्ते में परिवर्तन होने वाले आराजी रकबे के प्रतिकार स्वरूप क्षेत्र की वर्तमान डीएलसी0 दर के दुगनी राशि जमा राजकोष कराने की शर्त पर उक्त प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम की धारा 251 'क' के प्रावधान के अन्तर्गत तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट व अभिशंषा के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक अर्थात 30 फुट के स्थान पर 15 फुट रास्ते के लिये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो अपनी अभिशंषा के अनुसार प्रार्थीया की आराजी ख0नं0 1296 गै0मु0 रास्ते के आगे उत्तर की ओर मौके पर ख0नं0 1299 के उत्तरी पश्चिमी कोने से चलकर ख0नं0 1308 व 1307 की पूर्वी मेड के सहारे कुल 66 मीटर लम्बा तथा 15 फीट चौडा रास्ता तथा ख0नं0 1307 में होकर 8 मीटर लम्बा तथा 15 फीट चौडा ख0नं0 1313 वाके कस्बा राजगढ की दक्षिणी पूर्वी कोने तक राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के रकबे के प्रतिकार स्वरूप क्षेत्र की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि जमा राजकोष कराने के उपरान्त उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शे में रास्ता दर्ज कर पालना करें। तहसीलदार राजगढ उक्तानुसार रास्ते में परिवर्तित होने वाली भूमि की गणना कर प्रार्थीया से प्रतिकार स्वरूप राशि जमा राजकोष कराये निर्णय प्रति तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)